

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी : सुश्री दिव्या सोनी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 17.10.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंभा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम/पटवार हल्का	खाता संख्या	अशुद्ध नाम/प्रविष्टि	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
671/2025 1	किशोर सिंह पुत्र विजय सिंह	मुवाना/मुवाना	150, 337	किशोर सिंह पुत्र विजे सिंह	किशोर सिंह पुत्र विजय सिंह
672 2.	बिरदा राम पुत्र देवाराम	बंवली/खारडिया	6, 6	बिडदा पुत्र बन्ना	बिरदा राम पुत्र देवाराम
673 3.	लाला राम पुत्र मोटाराम	खारडिया/ खारडिया	85, 86	लाल चंद पुत्र मोटाराम	लाला राम पुत्र मोटाराम
674 4.	चांदसिंह दत्तक पुत्र पारस कंवर	गुढाराजावता/ खारडिया -बंवली/खारडिया	13 27	चांद दत्तक पुत्र पारस कंवर	चांदसिंह दत्तक पुत्र पारस कंवर
675 5.	लक्ष्मणसिंह पुत्र बदनसिंह	उलाणा/खारडिया	176	लिछमणसिंह पुत्र बदनसिंह	लक्ष्मणसिंह पुत्र बदनसिंह
676 6.	शिवबगसराम पुत्र गोरुराम	कांसेडा/खारडिया	91, 80	शयोबक्षाराम पुत्र गोरधन	शिवबगसराम पुत्र गोरुराम

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंकआदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(दिव्या सोनी RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

क्रमांक : राजस्व/कोटि/2025/199

दिनांक : 17/10/25

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)